बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक BRRDA(HQ)-MMGSY-449/17 921 / पटना, दिनांक— 22.10.18

प्रेषक,

राजय कुमार, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)—लघु शीर्ष—103 — ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष—0113, अनुसूचित जाति—लघु शीर्ष—789 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष—0104 एवं अनुसूचित जनजाति—लघु शीर्ष—796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष—0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ—9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, शिवहर के वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए पथ निर्माण की कुल 06 अदद योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ—9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sheohar	Tariyani	SC	Surgahi Kolso PMGSY Path to Surgahi Tola Meesa Tak	3	1.450	1488	91.520
2	Sheohar	Tariyani	SC	Sonwarsha Mela to Dura Tola Tak	14	1.400	354	109.500
			Total			2.850		201.020
3	Sheohar	Dumri Katsari	SC	Rahua Pul se Hrijan Tola Hote hue to PMGSY Sadak Ranivari Rajdev Singh ke Ghar Tak	27	0.410	270	31.490
4	Sheohar	Dumri Katsari	SC	Naya Gaon Pul ke Nikat to Harijan Toli Mahadev Ram ke Darwaje Tak	32	0.310	255	24.780
			Total			0.720		56.270
5	Sheohar	Piparahi	SC	Madhya Vidayalaya Pashim Bandh Dhala to Kuamma Mahavir Chowk Mantri Sadak Tak	5	1.100	478	87.140
			Total			1.100		87.140

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 21.09.2018 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

(क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2018—19 एवं वर्ष 2019—20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **शिवहर** योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **शिवहर** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **शिवहर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Biding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5 कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

6. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7 योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर सक्षम पदाधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्राक्कलित प्रत्येक मद् की समाव्यवता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9 योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113, अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 एवं अनुसूचित जनजाति–लघु शीर्ष–796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **शिवहर** द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता० तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

11 इन योजनाओं की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.09.2018 को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-449/17 के पृष्ठ–21/टि० पर प्राप्त है।

12. प्रस्तावित योजना के लिए बजटीय उपबंध वर्ष 2017–18 में किया गया है, जिसकी निकासी कर PL खाता में रख दिया गया है। इसी राशि से इस योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

16 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।

17 वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53/2007–3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।

18 यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53 / 2007–3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–4 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में एवं BRRDA(HQ)-MMGSY-449/17 के पृष्ठ 21 / टि० पर दिनांक 21.09.2018 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-449/17 पृष्ठ संख्या–21 / टि० पर दिनांक 12.10.18 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक BRRDA(HQ)-MMGSY-449/17 921 / पटना, दिनांक– 22.10.18

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, शिवहर / उपविकास आयुक्त, शिवहर / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग पटना / अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता–3, पटना / मुख्य अभियंता–4 / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सीतामढ़ी / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
सरकार के विशेष सचिव